कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 347 /12–1 :देहरादून:दिनांक: 19 अगस्त, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25, सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद रूद्रप्रयाग में मा0मु0घो0 संख्या–553/2015 के अन्तर्गत क्यार्क–बरसूड़ी–भैरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.340 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/40773/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी0/यू0सी0पी0/06/70/2021/एफ0सी0/773 दिनांक 23–09–2021 के द्वारा निर्गत EDS की सूचना वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी के पत्रांक 281/12–1 दिनांक 04.08.2023 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1	In reply to point No. 01, it is required to submit the minimum path distance norma of PWD to connect a habitation.	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी के पत्रांक 281/12–1 दिनांक 04.08.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड शासन का शासनादेश संख्या–8167/III(2)/18–15 (सामान्य)/2018 दिनांक 31.12.2018 के अनुसार राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मोटर मार्ग से 100 मी0 की ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से स्वतः ही संयोजित माना जाता है। शासनादेश की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–1)
2	The reply to point No. 05, location of the village is still not marked on the Kml file.	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 281/12–1 दिनांक 04.08.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावक विभाग द्वारा लाभान्वित ग्राम की स्थिति को KML file पर सफेद रंग से अंकित कर Parivesh Portal के Form-A Part-I para-C (Maps of forest land proposed to be diverted) वाले कॉलम में ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
3	The reply to point No. 06 is not found satisfactory. State Government may explore the alternate and submit the detail of the same to this office.	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 281/12–1 दिनांक 04.08.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु तीन अन्य वैकल्पिक संरेखणों को संशोधित डिजिटल मानचित्रों में संरेखण 1–हरा रंग, 2–काला रंग एवं 3–नीला रंग से दर्शाया गया है, जिन्हें Part-I para-C(iii) में ऑनलाईन अपलोड किया गया है एवं उक्त मानचित्रों की हार्ड प्रति मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक–2) वैकल्पिक संरेखणों का तुलनात्मक विवरण वाले प्रपत्र में वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त किये जाने का कारण स्पष्ट कर संशोधित प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–3)
4	The reply to point No. 07 is also not found satisfactory. State Government is required to	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 281/12–1 दिनांक 04.08.2023 के द्वारा अवगत

	explore the non-forest land to avoid the muck dumping in forest area.	कराया गया कि प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त मोटर मार्ग के प्रस्तावित संरेखण के प्रारम्भिक विन्दु से 1.40 कि॰मी॰ तक सिविल वन क्यार्क–बरसूड़ी व वन पंचायत कौशलपुर की भूमि पड़ती है तथा 0.60 किमी0 गैर वन क्षेत्र जो कि संरेखण के अन्तिम भाग में उपलब्ध है, जिस कारण प्रथम पांच मक डम्पिंग स्थलों को वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है एवं एक भू–स्वामी को छोड़कर अन्य भू–स्वामियों द्वारा मक डम्पिंग हेतु नाप भूमि देने में असहमति व्यक्त की गई, जिस कारण केवल एक मक डम्पिंग स्थल नाप भूमि में प्रस्तावित किया गया है। उक्त के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वन भूमि पर प्रस्तावित मक डम्पिंग स्थलों पर कम से कम मलवे का निस्तारण किया जायेगा एवं ज्यादा से ज्यादा मलवा निस्तारण प्रस्तावित नाप भूमि में किया जायेगा। (संलग्नक–4)

उक्त के अतिरिक्त प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वन संरक्षक के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग के चयनित संरेखण का दिनांक 14.07.2017 को संयुक्त निरीक्षण कार्य किया गया था, जिसमें कुल 68 वृक्ष प्रभावित हो रहे थे, जो कि लगभग 06 वर्श पूर्व का था। प्रकरण में दिनांक 01.02.2023 को पुनः संयुक्त निरीक्षण कार्य किया गया, जिस कारण प्रभावित वृक्षों की संख्या (कुल 125 वृक्ष) में अन्तर हुआ है तथा कतिपय प्रपत्रों में संशोधन हुआ है, जिनकी प्रतियां संलग्न कर प्रेषित हैं। **(1–कवर पेज, 2–फैक्स भीट, 3–प्रपत्र 3 भाग।।, 4–प्रतिवेदन, 5–प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, 6–वन भूमि की मांग का औचित्य प्रमाण–पत्र, 7–तुलनात्मक विवरण, 8–वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र, 9–लैण्ड शैड्यूल, परियोजना की लम्बाई–चौड़ाई का विवरण, 10–बारचार्ट, 11–प्रभावित वृक्षों के समस्त प्रमाण पत्र, 12–मक डिस्पोजल प्लान, 13–वन भूमि के मूल्य का प्रमाण–पत्र, 14–एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन आदि)**

अतः वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी/प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग के द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
19/8/23

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या– 347/12–1 दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।